531731/2021/ESZ

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230073
CG-DL-E-30092021-230073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 3695] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943 |
| No. 3695] | NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943 |

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 2021

**का.आ. 4029(अ).—**केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थिती-संवेदनशील जोन के रूप में, राजस्थान राज्य में माउंट आबू और इसके आसपास क्षेत्र के रूप में घोषणा के लिए का.आ.संख्या 1545 (अ), तारीख 25 जून, 2009 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 3 में, उप-पैरा (1) में, खंड (i) में, "केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "*राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वियन के लिए अनुमोदित करवाना*" शब्द, रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 3 में, उप-पैरा (1) में, खंड (vi) में, "जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा" शब्दों को हटाया जाएगा;

(iii) पैरा 3 में, उप-पैरा (1) में, खंड (vii) में, "केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा" शब्द, रखे जाएंगे;

(iv) पैरा 4 में, उप-पैरा (1) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1)(क) विद्यमान निगरानी समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए बाद में पुनर्गठन किया जाएगा।";

(v) पैरा 4 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

*"(2) निगरानी समिति का अध्यक्ष साबित प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव और स्थानीय मुद्दों का समझने वाला प्रख्यात व्यक्ति होगा। निगरानी समिति के अन्य सदस्यों निम्न संघटन है:*

*(i) राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो- सदस्य, पदेन;*

*(ii) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार- सदस्य, पदेन;*

*(iii) एक प्रमुख स्थानीय निवासी जिसके पास इस क्षेत्र का व्यापक ज्ञान है- सदस्य;*

*(iv) पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि- सदस्य;*

*(v) राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधि जो सहायक निदेशक (पर्यटन) के पद से नीचे का न हो- सदस्य, पदेन;*

*(vi) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- सदस्य, पदेन;*

*(vii) उप वन संरक्षक (वन्यजीव), माउंट आबू- सदस्य, पदेन;*

(viii) *जिला कलेक्टर, सिरोही- सदस्य, पदेन*।".

[फा. सं. 25/7/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 1545(अ), तारीख 25 जून, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2021

**S.O. 4029(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section(2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published by the Government of India in erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1545 (E), dated the 25th June, 2009 for declaration of Mount Abu and its surrounding region in the State of Rajasthan as an Eco-sensitive Zone, namely:—

In the said notification, -

(i) In paragraph 3, in sub-paragraph (1), in clause (i), for the words, "for approval to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests", the words "*for approval of the Competent Authority in the State Government for its effective implementation*" shall be substituted;

(ii) In paragraph 3, in sub-paragraph (1), in clause (vi), the words, "which will be submitted for approval to the Ministry of Environment and Forests" shall be deleted;

(iii) In paragraph 3, in sub-paragraph (1), in clause (vii), for the words, "by the Central government in the Ministry of Environment and Forests", the words "by the Competent Authority in the State Government" shall be substituted;

(iv) In paragraph 4, after sub-paragraph (1), the following shall be inserted, namely: -

" (1)(a) On expiry of the tenure of the existing Monitoring Committee, subsequent reconstitutions for a tenure of three years shall be carried out by the State Government.";

(v) In paragraph 4, for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely:-

*"(2) The Chairman of the Monitoring Committee shall be an eminent person with proven managerial or administrative experience and understanding of local issues. Composition of other members of the Monitoring Committee shall be:*

(i) *a representative of the Department of Environment of the Government of Rajasthan not below the rank of Deputy Secretary – Member, ex-officio;*

(ii) *a senior Town Planner of the Area – Member, ex-officio;*

(iii) *a prominent local resident having vast knowledgeable of the region – Member;*

(iv) *two representatives of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) - Members;*

(v) *a representative of the Department of Tourism of the Government of Rajasthan not below the rank of Assistant Director (Tourism) – Member, ex-officio;*

(vi) *Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board – Member, ex-officio;*

(vii) *Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Mount Abu – Member, ex-officio;*

(viii) *District Collector, Sirohi - Member Secretary, ex-officio.".*

[F. No. 25/7/2012-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1545(E), dated the 25th June, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.